[श्री बिन्देश्वरी दुबे]

लिए प्रोफोर्मा वगैरह जो है उसके लिए एग्जेम्प्ट नहीं किया है । वैसे जो कानून है जहां एकाउंटेबिलिटी है पब्लिक फण्ड की उनको एग्जेम्प्ट नहीं किया है । इसके अलावा खास तौर पर एतिहात बरती गई है पेमेंट आफ वेजेज एक्ट 1948 के अन्तर्गत जो 1951 के रूल्ज हैं उनके मुताबिक वेजेज स्लिप देनी है वह अवश्य दी जाए । इसी तरह से बीस रेटिड वर्कर्ज के लिए जो माइंस एक्ट के अन्तर्गत रूल्ज हैं उनके मुताबिक वेजेज स्लिप दी जाती है वह दी जाए इस बात को इन्श्योर किया जाए । इन सारी बातों को एतिहात रखी गई है । मैंने तो सोचा था सभी लोग इसका स्वागत करेंगे और इसके इफेक्टिव इम्पलीमेंटेशन में मदद मिलेगी । स्माल इंडस्ट्रीज को मदद करने के और जो भी तरीके हैं वह भी किये जा रहे हैं उनको अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट पड़ता है ओवर-हेड कास्ट पड़ता है उससे बचाया जाए और बहुत से सारे प्रोफोर्मा भरने के लिए रजिस्टर मेन्टेन करने के लिए बहुत सारी हेरासमेंट जो माननीय सदस्यों ने प्वांइट आउट की हैं उस हेरासमेंट से बचाया जाए वही इस बिल का मकसद है । मैंने समझा था कि सभी लोग इसका स्वागत करेंगे लेकिन जिन लोगों ने इसमें जो मजदूर विरोधी बात देखी ली और मालिक की हिमायत की देख ली वह सिर्फ उनकी दृष्टि का दोष हो सकता है । उसके लिए मैं और कुछ कहने को लाचार हूं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को स्वीकार किया जाए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): The question is:

"That the Bill to provide for the exemption of employers in relation to establishments employing a small number of persons from furnishing returns and maintaining registers under certain labour laws, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration. The *motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): We shall now take up clause-hy-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 8, *the First Schedule and the .Second Schedule were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI BINDESHWARI DUBflY: I beg to move:

"That the Bill be poised."

The question was put and the motion was adopted.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA -,

Appropriation (No. 4) Bill, 1988

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the Hoiuse the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha? I am directed to enclose the Appropriation (No. 4) Bill 1988, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 23rd August, 1988.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article HO of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अब हम उठते हैं और सोमवार 29 अगस्त को सुबह 11 बजे फिर मिलेंगे ।

The House then adjourned at thirty-seven minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Monday, the 29th August, 1988.